<u>न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>

सत्र परीक्षण सं०-907/2022

उत्तर प्रदेश सरकार --- बनाम---संजय बाजपेयी आदि

<u>दिनांक-07.05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

पुकार पर अभियुक्त शोभित बाजपेयी उपस्थित। अभियुक्त संजय बाजपेयी की आज की हाजिरी उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस शर्त के साथ स्वीकृत कि अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि पर उपस्थित हो।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि, अभियुक्त संजय वाजपेयी इस न्यायालय के आदेश दिनांक-10.12.2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन की पैरवी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय गया हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में अभियुक्तगणों को हिदायत दी जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति इस न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल करें। यह भी हिदायत दी जाती है कि अभियुक्तगण नियत तिथि पर व्यक्तितगत रूप से उपस्थित हों।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक-22.05.2025 को पेश हो।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।